न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर, जिला अजमेर

रसद प्रार्थना पत्र संख्या 11/2024

राजस्थान सरकार जरिये नीरज कुमार जैन, प्रर्वतन अधिकारी, अजमेर।

........प्रार्थी

बनाम

मैसर्स गंगााराम अमरचन्द हलवाई
नया बाजार, अजमेर
श्री तनुज बंसल पुत्र श्री जँवरी लाल बंसल
29, श्याम नगर काली मंदिर के पीछे,
फायसागर रोड, अजमेर
पुलिस थाना गंज अजमेर

.....अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

उपस्थित: श्री नीरज जैन, प्रर्वतन अधिकारी – पैरोकार सरकार
श्री पुखराज तुनगारिया अप्रार्थी अभिभाषक

आदेश

दिनांक 20.11.2024

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 28.05.2024 को जिला रसद अधिकारी, अजमेर (प्रथम) के निर्देशानुसार गैस सिलेण्डरो के अवैध रूप व्यावसायिक दुरूपयोग/घरेलू सिलेण्डरों के अवैध रूप से रोकने के अभियान के तहत् जांच दल मैसर्स गंगाराम अमरचन्द हलवाई, नया बाजार, अजमेर पर पहुँचे। उक्त स्थान पर फर्म द्वारा एक मुश्त 100 किग्रा एलपीजी से अधिक एलपीजी का भण्डारण बिना विस्फोटक अनुज्ञप्ति के किया जाना पाया जों कि एलपीजी रूल्स तथा एलपीजी आदेश 2000 की धाराओ का स्पष्ट उल्लंघन पाये जाने पर मौके से 06 एलपीजी सिलेण्डर मय 109.8 किग्रा एलपीजी राज्य हित में जब्त किया गया। मौके पर श्री दीपक चौहान पुत्र श्री रामा चौहान, कार्मिक गुलाब गैस सर्विस, अजमेर को बुलवा कर कांटे से वजन करवाने पर विवरण निम्नानुसार पाया गया :–

S.NO.	S.R.NO.	CO.	T.W.	G.W.	N.W.GAS
1	18011	BPCL	19.3	38.3	19.0
2	008477	BPCL	19.1	38.1	19.0
3	000356	BPCL	19.4	38.4	19.0
4	66875	BPCL	18.4	37.4	19.0
5	46923	BPCL	18.8	37.8	19.0
6	894863	BPCL	19.2	34.0	14.8

सिलेण्डर को श्री दीपक चौहान पुत्र श्री रामा चौहान, कार्मिक गुलाब गैस सर्विस, अजमेर को आगामी आदेश तक सुरक्षित रखने हेतु सुर्पुदगी में दिए गए जिसका सुपुर्दगीनामा अलग से लिखा गया। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा

जिला कलक्टर
अजमेर

6 ए के तहत प्रस्तुत कर जब्तशुदा 06 गैस सिलेण्डर को राजसात करने के आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी जरिये अभिभाषक उपस्थित। अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया। सुनवाई चाहने पर उभय पक्ष को सुना गया।

पैरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि दिनांक 28.05.2024 को जांच दौरान अप्रार्थी द्वारा अपने व्यावसायिक स्थल पर एकमुश्त 100 किग्रा एलपीजी से अधिक एलपीजी का भण्डारण बिना विस्फोटक अनुज्ञप्ति के किया जाना पाया जों कि एलपीजी रूल्स तथा एलपीजी आदेश 2000 की धाराओ का स्पष्ट उल्लंघन पाये जाने पर मौके से 06 एलपीजी सिलेण्डर मय 109.8 किग्रा एलपीजी राजहित में जब्त किया गया। अतः कब्जेराज लिये गये छः गैस सिलेण्डरों को राजसात फरमाया जावें।

अप्रार्थी ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि अप्रार्थी को 100 किग्रा सिलेण्डर एलपीजी ही रखना है ऐसे किसी नियम की जानकारी नहीं थी। मौके पर छः सिलेण्डरो का कुल वजन 109 किग्रा पाया गया है जो सही है यह कि अप्रार्थी को ऐसा कृत्य ज्ञान, जानकारी सूचना के अभाव में हो गया है। अप्रार्थी का उद्देश्य कभी भी सरकार द्वारा तय नियमों का उल्लघंन करना नहीं रहा है। अप्रार्थी जिम्मेदार नागरिक व व्यवसायी है एवं सभी प्रकार के नियमों का पालन करता रहा है और आगे भी करता रहेगा। अप्रार्थी को जानकारी के अभाव में भूलवश हो चुकी भूल के लिए क्षमा प्रार्थी है एवं एलपीजी का वजन भी निर्धारित सीमा 100 किलोग्राम से मात्र 9.8 किलोग्राम ही अधिक है। अतः अप्रार्थी की प्रथम भूल को देखते हुए अप्रार्थी को क्षमा कर जब्त सिलेण्डर दिलाये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करें।

हमने बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। वरवक्त जांच कार्यवाही दिनांक 28.05.2024 को अप्रार्थी द्वारा एल.पी.जी. गैस सिलेण्डरों का एक मुश्त 100 किग्रा से अधिक भण्डारण बिना विस्फोटक अनुज्ञप्ति के किया जाना पाया जों कि एलपीजी रूल्स तथा एलपीजी आदेश 2000 की धाराओ का स्पष्ट उल्लंघन पाये जाने पर मौके से 06 एलपीजी सिलेण्डर मय 109.8 किग्रा एलपीजी राज्य हित में जब्त किया गया। चूंकि प्रकरण में एलपीजी की कुल मात्रा 109.8 किग्रा पाई गई है जो 100 किग्रा से 9.8 किग्रा अधिक मात्रा पाई जाने से प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार कर सिलेण्डर एस.आर नम्बर 894863 बीपीसीएल वजन 14.8 किग्रा गैस सिलेण्डर मय एलपीजी को, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के तहत राजसात किया जाता है। शेष सिलेण्डर अप्रार्थी फर्म को रिलीज किए जाने के आदेश दिये जाते है। जिला रसद अधिकारी अजमेर उक्त शेष 5 गैस सिलेण्डर मय एलपीजी अप्रार्थी फर्म को सुपुर्द करे व एक गैस सिलेण्डर एस.आर नम्बर 894863 मय एलपीजी का नियमानुसार निस्तारण कर प्राप्त राशि राजकोष में जमा करवाई जावें।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 20.11.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(लोक बंधु)
जिला कलक्टर, अजमेर